तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
24/3/23	पत्रावली पेश। सरकार जरिये अ०प० स०/ उपस्थित पत्रावली पर बहस सुनी गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित होने के कारण स्वीकार योग्य पाया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर रा० रि० किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से अज से बाद तकमील जिला रिकॉर्ड रूम भिजवाई जावे। सुनाया। ह० [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2/2023

वउनवान

1. **भंवरीदेवी पत्नी हाकमसिंह जाति राजपूत निवासी बडौदाकान तहसील कठूमर जिला अलवर।**

प्रार्थीया

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर**

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थितः—श्री भीमसिंह राणा— अधिवक्ता प्रार्थीया

आदेश **दिनां24.03.2023**

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 1178/1688 रकवा 0.23 हे. 1179 रकवा 0.18 हे. ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। प्रार्थीया का नाम भौरीदेवी पत्नि हाकिमसिंह ना होकर भंवरी देवी पत्नि हाकिमसिंह है। प्रार्थीया की अन्य आराजी खसरा नम्बर 1039 रकवा 0.11 हे. में प्रार्थीया का नाम भंवरीदेवी पत्नी हाकिमसिंह दर्ज है। प्रार्थीया के आधार कार्ड व अन्य पहचान के दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम भंवरी देवी पत्नि हाकमसिंह दर्ज है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम भंवरी देवी के स्थान पर भौंरी देवी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है।प्रार्थीया उक्त आराजी पर अपना नाम भौंरी देवी के स्थान पर भंवरी देवी दर्ज कराना चाहती है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी वावत भौंरी देवी के स्थान पर भंवरी देवी दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में भौरी देवी के स्थान पर भंवरी देवी दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलव किया गया। दिनाक 02.02.2023 को अप्रार्थी ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया ने यह सावित नही किया है कि प्रार्थीया का नाम कहां कैसे गलत दर्ज हुआ है। जिस जमाबन्दी में नाम गलत दर्ज हुआ है उसका राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रार्थीयाने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में नकल सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी खाता नम्बर 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1178 / 1688, 1179 व जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1039 वाके ग्राम मक्खनकानगला, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, आर जी एच एस ई कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय प्रार्थीया का शपथ पत्र व कैलाश प्रजापत, धनश्याम राजपूत के शपथ पत्र पेश किये है व कार्यालय ग्राम पंचायत बडौदाकान का प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2023 पेश किया है। जो भाामिल पत्रावली है।

हमने विद्वानं अधिवक्ता प्रार्थीया व पैरोकार सरकार की वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीया का नाम भौरी देवी ना होकर भंवरी देवी है जिसकी ताइद प्रार्थीया द्वारा पेश किये गये राजस्व रेकार्ड पत्रादि से होती है। ऐसी दुरूस्ती से राज्य हित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम उक्त आराजी से भौरी देवी के स्थान पर भंवरी देवी दुरूस्त किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि व ग्राम पंचायत बडौदाकान के प्रमाण पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व विद्वान पैरोकार सरकार की वहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि भौरी देवी व भंवरी देवी एक ही महिला के नाम है।आराजी खसरा नम्बर 1039 वाके ग्राम बडौदाकान में प्रार्थीया का नाम भंवरी देवी पत्नि हाकिमसिंह अंकित है पहचान के दस्तावेजात में भंवरी देवी पत्नी हाकिमसिंह अंकित है। गवाह प्रार्थीया भी प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

का नाम भौरी देवी ना होकर भंवरी देवी होना कथन करते है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र में भौरी देवी व भंवरी देवी एक ही महिला होना प्रमाणित किया है व उक्त आराजी से प्रार्थीया का नाम भौरी देवी के स्थान पर भंवरी देवी भुद्व करने की सिफारिश की हैं। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पंत्रादि से प्रार्थीया का नाम भौरी देवी ना होकर भंवरी देवी होनासावित होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फर्माया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1178/1688 रकवा 0.23 हे. 1179 रकवा 0.18 हे. वाके ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर पर प्रार्थीया का नाम भौरी देवी पत्नी हाकिमसिंह के स्थान पर भंवरी देवी पत्नी हाकिमसिंह जाति राजपूत निवासी बडौदाकान दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

अतः यह आदेश आज दिनांक 24.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.